फिल्मी स्टाइल में गोली चलाने वाला गिरफ्तार

दोनों हाथ में पिस्टल लेकर होटल में घुसा बदमाश, युवक को पीटा और फायर करके पैर पकड़वाए

इंदौर। बॉम्बे हॉस्पिटल सर्विस रोड पर स्थित एक होटल में देर रात युवक पर फिल्मी स्टाइल में फायर करने वाले बदमाश दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक अपने दोस्त से मिलने होटल आया था, जहां दोनों हाथ में पिस्टल लिए एक बदमाश ने पहले उसके सिर पर पिस्टल की बट से वार किया। जब वह बचकर भागा तो उस पर फायर कर दिया। इतना ही नहीं उसने धमकाते हुए पैर छूने को कहा। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

लसूड़िया टीआइ इंद्रमणी पटेल ने बताया कि ईशांक पिता बेनी प्रसाद मिश्रा की शिकायत पर दीपक के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया था। दीपक का किसी बात को लेकर होटल के मैनेजर से विवाद हो गया था। इसके बाद वह पिस्टल लेकर होटल पहुंचा था, जहां उसने ईशांक पर पिस्टल तानते हुए हवाई फायर किए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद आरोपी को खोज निकाला। पीड़ित ईशांक ने कहा कि वह सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करता है। 18 फरवरी को शिवपुरी से मेरे दोस्त सिद्धार्थ सिंह चौहान और अमन खान आए हुए थे। मैं और मेरा दोस्त शशांक शेखर होटल सिल्वर बॉम्बे अस्पताल सर्विस रोड पर उनसे मिलने आए थे। दोस्तों से मिलने के बाद हम होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी 30-35 साल का एक युवक दीपक दोनों हाथ में पिस्टल लेकर आया अचानक उसने एक पिस्टल को मेरे पेट पर सटा दिया, जबकि दूसरी पिस्टल की बट से मेरे सिर के पीछे मारा। मैंने जैसे-तैसे उससे छूटने की कोशिश और वहां से भागने लगा तो उसने पीछे से फायर कर दिया। गोली मेरे पास से निकल गई। मैं बचने के लिए पार्किंग की ओर भागा और एक कार के पीछे जाकर छिप गया। मैंने अपने दोस्त को फोन किया। वह होटल से बाहर आया तो उस युवक ने उसकी छाती पर भी पिस्टल रख दी। तीन बार पिस्टल का ट्रिगर भी दबाया। पिस्टल में गोली नहीं होने से फायर नहीं हुआ और उसकी जान बच गई। इस पर उसने दोस्त से कहा - तू मुझे जानता नहीं है मेरे पैर छू। उसने उससे माफी मांगी। इसके बाद वह जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी सफेद रंग की कार से भाग निकला।

एक नजर

पुराने सामान की नीलामी 25 को बीएसएफ में

इंदौर। 82 वी वाहिनी सीमा सुरक्षा बल बुढानिया में अनुपयोगी सामानों की नीलामी 25 फरवरी 2021 को करवे जा रहा है, जिसमे टेबल, कुर्सी, पिकेट, लोहा, पानी की टंकी, कूलर, बैटरी, टावर सहित कई अनुपयोगी सामान है। इच्छुक व्यक्ति 25 फरवरी को प्रातः 10 बजे बीएस एफ बुढानिया कार्यालय पहुंचे, नीलामी मे शामिल होने वाले व्यक्ति को 10 हजार जमानत के रूप में शामिल करवे होंगे, अधिक बोली लगाने वाले को सामान दिया जाएगा साथ ही, नीलामी खत्म होने पर 100 प्रतिशत राशि जमा करना होगी। समादेष्टा 82 वी वाहिनी सीमा सुरक्षा बल को किसी भी समय बोली व निलामी बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

इंदौर की महिलाएं महू उपजेल में खोलेगी लाइब्रेरी

इंदौर। इंदौर की समाज सेवी किरीता तिवारी और सरिता काला के द्वारा महू उप जेल में पौधा वितरण किया गया तथा जेल में लाइब्रेरी खोलने का भी प्रण लिया। इस अवसर पर महू उपजेल के अधिकारी और पुलिस प्रशासन उनके इस सेवा कार्य से बहुत खुश नजर आए। वहा के कैदियों के लिए विशेष पुस्तकालय खोलने का इन लोगों ने प्रण लिया दोनो समाजसेवी की इच्छा है कि अच्छी किताबे कैदियों को पढ़ने को मिले और उनके आचरण और व्यवहार में परिवर्तन आए। जेलर ब्रजेश मकवाना के विशेष सहयोग रहा।

सुपर कॉरिडोर पर ट्रक ड्राइवर का गला घोंटा

कपड़े में बांधकर फेंका और ट्रक लेकर फरार हो गए

इंदौर। सुपर कॉरिडोर पर कपड़े में लिपटी मिली लाश की पुलिस ने शुक्रवार सुबह शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, दो की तलाश जारी है। मृतक ट्रक चालक था। वह जब गंतव्य तक नहीं पहुंचा, तो ट्रक मालिक ने थाने में उसकी गुमशुदगी और माल चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी।

बाणगंगा पुलिस के अनुसार सुपर कॉरिडोर पर एरोड्रम क्षेत्र में देर रात कपड़े में लिपटी युवक की लाश मिली थी। पता चला था कि सांवेर क्षेत्र में फैक्टरी में सरियों से भरे ट्रक को चार संदिग्ध बेचकर गए हैं। पूरी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। लाश की शिनाख्ती के साथ ही पुलिस ट्रक मालिक तक भी पहुंच गई। ट्रक मालिक ने बताया कि जिसकी लाश मिली है, वह उनका ड्राइवर है, जो तीन दिन पहले सरिए लेकर पीथमपुर से निकला था। पुलिस का कहना है कि बदमाश यात्री बनकर ट्रक में सवार हुए थे। सुपर कॉरिडोर पर मौका पाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कपड़े में बांधकर फेंक दिया था। इसके बाद वे सरियों से भरा ट्रक ले जाकर सांवेर रोड पहुंच गए थे, जहां माल बेच दिया। टीआई राजेंद्र सोनी के अनुसार मृतक की गला घोंटकर हत्या की गई। चेहरे पर चोट का निशान भी हैं।

इंदौर मे भी मनाया गया ख़्वाजा साहब के उर्स का जशन

इंदौर। शुक्रवार ख़्वाजा साहब के 809 उर्स मुबारक के मोके पर इंदौर मे महू नाका कब्रिस्तान स्थित सरकार अताये ख़्वाजा साहब की दरगाह शरीफ पर उर्स के खास मोके पर खादिम ए खास हजरत औसाफ मोहम्मद चिश्ती (बाबा साहब) और सज्जादानशीन हजरत वासिफ करीम चिश्ती साहब की सरपरस्ती मे सुबह 4 बजे गुस्ल सन्दल हुआ और 8:30 पर नात ख्वानी का प्रोग्राम हुआ। दरगाह शरीफ पर चादर शरीफ पेश की गयी तथा पुरे शहर और देश दुनिया मे अमनो अमान और खुशहाली और सभी तरह की बिमारी से हीफाजत सलामती की दुआ की गयी।

मंगेतर ने शादी से मना किया तो युवती ने लगाई फांसी

इंदौर। अन्नपूर्णा, लसूड़िया और गांधी नगर थाना क्षेत्र में अपनों की बेरुखी की वजह से तीन महिलाओं ने जान दे दी एक युवती ने इसलिए फांसी लगा ली कि उसके मंगेतर ने शादी करने से इनकार कर दिया था। वहीं, दूसरे मामले में पति और सौतन के तानों से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी। तीसरे मामले में भी आए दिन पति से विवाद के चलते महिला फांसी पर झूल गई। अन्नपूर्णा पुलिस के अनुसार जय जगत कॉलोनी में निवासी 23 वर्षीय खुशबू ने फांसी लगाकर जान दी है। परिजन ने पुलिस को बताया कि उसका धीरज नामक युवक से उसका रिश्ता तय हुआ था। कुछ दिन पहले धीरज की ओर से शादी से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद वह फिर से शादी के लिए राजी हुआ और फिर बाद में मुकर गया। इसी बात को लेकर बेटी और धीरज में अनबन चल रही थी। संभवतः इसी तनाव के कारण उसने फांसी लगाई है। पुलिस का कहना है कि धीरज और उसके परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। परिजनों के अनुसार बेटी 12वीं तक पढ़ी थी। वह अभी ब्यूटी पार्लर का काम देखती थी।

दो अन्य ने भी की आत्महत्या

दूसरा मामला गांधी नगर का है। पुलिस के अनुसार सिद्धार्थ नगर निवासी शोभा (34) ने जहर खाकर जान दे दी है। मृतका के मायके वालों ने दूसरी महिला पर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 8 साल पहले दोनों ने शादी की थी। कुछ समय पहले पति ने एक दूसरी महिला से शादी कर ली। महिला उसे धमकाती है। इसी से परेशान होकर बेटी ने सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार तीसरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंचल टाउनशिप का है। यहां रहने वाली नेहा (34) ने फांसी लगाकर जान दे दी। जिस समय महिला ने सुसाइड किया पति बच्चे के साथ नीचे सोया हुआ था। काफी देर तक पत्नी ऊपर से नीचे नहीं आई तो पति ने जाकर देखा। यहां कमरा भीतर से बंद था। आवाज लगाने पर भी जब गेट नहीं खुला तो उसने पड़ोसियों की मदद से गेट तोड़ा। जहां महिला फंदे पर लटकी मिली। महिला के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतका के काका के अनुसार पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे विवाद थे जो सुलझ गए थे।

जेबकतरा चलती बस से कूदा

लोगों ने दौड़कर पकड़ा, पीटते-पीटते ले गए थाने

इंदौर। भंवरकुआं क्षेत्र से गुजर रही सिटी बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक ने चलती बस में यात्री के पैसे चुरा लिए। रुपए चुराने के बाद वह चलती बस से कूद गया और भागने लगा। इस पर तत्काल बस को रुकवाया गया। चोर-चोर की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने तत्काल दौड़कर उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की और फिर थाने पर सौंप दिया। पिटाई इतनी जमकर हुई कि पीटते-पीटते चोर की पीठ पर डंडा टूट गया।

चलती बस में चोरी की घटना भंवरकुआं थाना क्षेत्र में हुई है। भंवरकुआं से कलेक्टोरेट की ओर जा रही सिटी बस में यात्री नवाब खां सवार था। बस कुछ दूर चली तो पास बैठे शातिर बदमाश सागर ने उनकी जेब से रुपए खींच लिए और बस के गेट की ओर भागा। उसने चलती बस में ही छलांग लगा दी और भागने लगा। इस पर लोग चोर-चोर चिल्लाने लगे और कुछ दूर जाकर बस रुक गई। चोर-चोर की आवाज सुन वहां से गुजर रहे लोगों ने सागर को दबोच लिया। इतने में सिटी बस में सवार लोग भी पहुंच गए। सभी ने उसकी जमकर खातिरदारी की और फिर पुलिस को सौंप दिया।

फरियादी नवाब खां ने बताया कि मैं जब सिटी बस में सवार कर रहा था। वह मेरे पास बैठा हुआ था। इसने मेरे जेब से रुपए खींच लिए। खां के अनुसार उसका एक और साथी था, जो इसके पकड़ने जाने पर भाग निकला। वहीं, चोर के बारे में पता चला है कि वह शातिर बदमाश है और इंदौर के मुसाखेड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। वह अपने आपको ऑटो चालक बता रहा है। भंवरकुआं पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

दूध की बाल्टी से हमला

इंदौर। किशनगंज पुलिस ने बताया कि ग्राम चौरड़िया में रहने वाले राहुल अहिरवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि पास ही रहने वाले दिलीप ने पुराने विवाद में जाति सूचक शब्द कहते हुए दूध की लोहे की बाल्टी से उस पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुराने विवाद में मारपीट

इंदौर। देपालपुर पुलिस ने बताया कि ग्राम अहिरवास में रहने वाली मंजूबाई मेवाड़ा ने शिकायत दर्ज कराई कि तोलू मेवाड़ा ने पुराने विवाद गालीगलौच करते हुए उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

82 लाख रुपए के मामले में आयकर विभाग करेगा जांच

इंदौर। विजयनगर पुलिस ने कार से गुरुवार रात 82 लाख 42 हजार रुपयों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों परदेशीपुरा के एक रेती-सीमेंट कारोबारी का नाम कबूला है। शक है कि आरोपित कालेधन को सफेद करने वाले नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है, जो मामले की जांच में जुट गई है।

एसपी (ईस्ट) आशुतोष बागरी के अनुसार पकड़े गए आरोपितों के नाम दीपक पिता धीरजसिंह बड़ाल नि. बागली, सुनील पिता फूलचंद शर्मा नि. ब्रजनगरी कॉलोनी लिंबोदी और ड्राइवर लालचंद सोलीवाल है। आरोपी गुरुवार होटल मैरियट के सामने कार में बैठे हुए थे। रात्रि गश्त कर रहे सिपाही मुकेश लोधी और आशीष शर्मा को देखकर भागने लगे। सिपाहियों को शंका हुई और दोनों को पीछा कर पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर सीट पर नोटों की गड्डियां बिछी हुई थी। सिपाही तीनों को पकड़ कर थाने ले गए और अफसरों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी आशुतोष बागरी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने नोट गिनने की मशीन बुलाई। अफसरों ने बताया कि जब्त राशि 82 लाख 42 हजार रुपये की है।

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स पलक एसोसिएट्स M/S PALAK ASSOCIATES जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0253/15 व पंजीयन दिनांक 15-12-2015 तथा पंजीकृत पता 147/47 स्वामदीन नगर, इंदौर जिला इंदौर है जिसमें पंजीयन के समय सात भागीदार 1) श्री महेशचंद पिता श्री कैलाशचंद 2) श्री मुकेश पिता श्री कैलाशचंद 3) श्री निरंजन पिता श्री कैलाशचंद 4) श्रीमती संगीता पति श्री महेशचंद 5) श्रीमती कुसुम पति श्री मुकेश 6) श्रीमती वंदना पति श्री निरंजन 7) श्री गोपाल पिता श्री कैलाशचंद थे। दिनांक 04/02/2021 को एक फर्म के पांच भागीदारों 1) श्री मुकेश पिता श्री कैलाशचंद अग्रवाल 2) श्रीमती कुसुम पति श्री मुकेश अग्रवाल 3) श्री निरंजन पिता श्री कैलाशचंद अग्रवाल 4) श्रीमती वंदना पति श्री निरंजन अग्रवाल 5) श्रीमती संगीता पति श्री महेशचंद अग्रवाल ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की जिसे शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया। साथ ही फर्म का पता 335/1/1 ग्राम पालदा, उद्योग नगर इंदौर 452020 (म.प्र.) करने का निर्णय लिया अतः वर्तमान में शेष दो भागीदार हैं 1) श्री गोपाल अग्रवाल पिता श्री कैलाशचंद अग्रवाल 2) श्री महेशचंद अग्रवाल पिता श्री कैलाशचंद अग्रवाल जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो।

भागीदार
फर्म: मैसर्स पलक एसोसिएट्स
गोपाल अग्रवाल
पता 14-15 जानकी नगर
एल. एक्स- 2, नवलखा इंदौर

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम चंद्रशेखर पिता अर्जुन चौधरी था। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर शेखर पिता अर्जुन चौधरी कर लिया है। अब मुझे शेखर पिता अर्जुन चौधरी के नाम से जाना पहचाना जाए।

शेखर पिता अर्जुन चौधरी
निवासी दारू गोदाम सेंधवा
तहसील-सेंधवा,
जिला.बड़वानी (म.प्र.)

न्यायालय तहसीलदार तहसील
मिर्चीडिस्ट्री जिला इंदौर
प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक जी-9

उद्घोषणा

[illegible]

तहसीलदार

RAAJ MEDISAFE INDIA LIMITED

Regd. Office: 106, Sector III, Industrial Area, Pithampur - 454774, District- Dhar (M.P.)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Shareholders of Raaj Medisafe India Limited will be held on Monday, 15th Day of March 2021 at 4.00 P.M. at the premises of Padma Polytex, Madhya Pradesh, Ujjain - 456010.

E-VOTING

[illegible]

The remote e-voting period begins on Friday, March 12, 2021 at 9:00 A.M. and ends on Sunday, March 14, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-voting module will be disabled thereafter. The detailed procedure for e-voting and the cut off date is given in the said Notice. For any query/ clarification or issues regarding remote e-voting you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evotingindia.com/ under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (1800 22 5533 / 022-23058542 / 022 23058543 / 022 23058738), OR contact our Registrar and Share Transfer Agents.

We thank you for your support in this green initiative.

Thanking you,
FOR RAAJ MEDISAFE INDIA LTD.
Sd/- ARPIT BANGUR
CHAIRMAN
DIN:02509716

स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की कार्यवाहियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु, स्कूलों के प्राचार्यो एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन

इंदौर। बच्चों में व्यक्तित्व के विकास व उन्हे मूल अधिकार एवं नैतिक कर्तव्यों के पालन साथ-साथ कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का पालन कर, एक अच्छे नागरिक बनाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार, जिलास्तर पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसी परिपेक्ष्य में इस योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र हेतु इन्दौर पुलिस द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों व एसपीसी योजना के चयनित स्कूल के प्राचार्यों व पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन आज पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में किया गया। उक्त बैठक में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर अरविंद तिवारी की विशेष उपस्थिति में एसपीसी इन्दौर की नोडल अधिकारी व अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इन्दौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सहित जिला इन्दौर के चयनित शासकीय स्कूलों के प्राचार्य एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहें, जिन्होंने उक्त योजना के तहत वर्तमान सत्र में की जाने वाली विभिन्न कार्यवाही, आवंटित बजट का बेहतर उपयोग व बच्चों के प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन आदि के संबंध में आवश्यक जानकारियां, विचार व सुझाव साझा किये गये। उक्त योजना तहत चयनित शासकीय स्कूलों के बच्चों को आंतरिक व बाह्य प्रशिक्षण को किस प्रकार और बेहतर व नवीन तरीकों से प्रदान किया जाये, इस हेतु चर्चा की गयी तथा बच्चों के सर्वांगीण सामाजिक विकास हेतु, विभिन्न शिक्षाप्रद पुस्तकें भी संबंधित चयनित स्कूलों के पदाधिकारियों को दी गयी।

फॉर्म ए
सार्वजनिक सूचना

Sai Magic Foods Products Private Limited के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

RELEVANT PARTICULARS

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	Sai Magic Foods Products Private Limited
2	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तारीख	15.09.2010
3	[illegible]	The Registrar of Companies, Gwalior
4	[illegible]	U15400MP2010PTC023774
5	[illegible]	105-107, Sainath Plaza 63, Mangal Nagar, A. B. Rd., Indore, MP-452001
6	[illegible]	29.01.2021 (Order received on 17.02.2021 through speed post)
7	[illegible]	28.07.2021 (180 days)
8	[illegible]	Name: Ashutosh Gokhale, Address: 206, Manas Bhawan Ext., 11 RNT Marg, Indore, MP-452001, Email id: gokhale206@gmail.com, Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00613/2017-2018/11072
9	[illegible]	Address registered with Board: 206, Manas Bhawan Ext., 11 RNT Marg, Indore, MP-452001. Email id registered with Board: gokhale206@gmail.com
10	[illegible]	206, Manas Bhawan Ext., 11 RNT Marg, Indore, MP-452001. Email: gokhale206@gmail.com
11	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	03.03.2021
12	[illegible]	Name the class(es): Nil (As per information available)
13	[illegible]	Not Applicable (As per information available)
14	(क) [illegible] (ख) [illegible]	Web link: https://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: Not Applicable

[illegible]

आशुतोष गोखले
(Interim Resolution Professional)
Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00613/2017-2018/11072

दिनांक: 19.02.2021
स्थान: इंदौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 208/2019 दिनांक: 18.04.2019

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लेखित खसरा भूमि पर कंपनी को आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग की विकास अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखित स्थल पर विकास कार्यों पेटे निम्नानुसार भूखण्ड धरोहर रखे गये है।

क्र.	कॉलोनी/ संस्था का नाम	ग्राम व खसरा क्र.	विकास अनुमति जारी करने का क्र. व दिनांक	धरोहर भूखण्डों का विवरण
1.	मेसर्स ओमनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, तर्फे डायरेक्टर, श्री महेश खंडेलवाल पिता श्री नेमीचंद खंडेलवाल, पता - 184, श्रीनगर मेन, इन्दौर (म.प्र.)	ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर की भूमि खसरा क्रमांक 386, 387/1/3, 387/2 कुल रकबा 2.056 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (प्रोझोन सोजतिया धाम) उपयोग।	193/ कॉलोनी सेल/2019 दिनांक - 18.4.2019	विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल के भूखण्ड क्रमांक 01 क्षेत्रफल 165.6 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 02 क्षेत्रफल 165.6 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 03 क्षेत्रफल 165.6 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 14 क्षेत्रफल 165.6 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 15 क्षेत्रफल 165.6 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 16 क्षेत्रफल 165.6 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 27 क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 28 क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 29 क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 30 क्षेत्रफल 184.5 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 31 क्षेत्रफल 184.5 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 32 क्षेत्रफल 184.5 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 33 क्षेत्रफल 118.232 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 34 क्षेत्रफल 118.232 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 35 क्षेत्रफल 118.232 वर्गमीटर, भूखण्ड क्रमांक 36 क्षेत्रफल 118.232 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल 16 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 2545 वर्गमीटर (जिनका मूल्य रूपये 1,78,15,000/-) है, जो विकास कार्य पूर्ण होने तक ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179142019ए1260785 दिनांक 15/04/2019 से धरोहर के रूप में रखे गये है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखंड का क्रय-विक्रय नहीं किया जावे, अन्यथा की स्थिति में निगम जवाबदेह नहीं होगा।

आज्ञा से-
आयुक्त नगर पालिक निगम,
इन्दौर